निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 08 पटना, बुधवार, 2 फाल्गुन 1939 (श0)
21 फरवरी 2018 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-4**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**5-5**
पूरक	---
पूरक-क	**6-9**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
11 दिसम्बर 2017

सं0 8/सी0बी0आई0–80–05/2017–गृ0आ0–9676—दिल्ली विषेष पुलिस स्थापना अधिनियम–1946 (1946 का अधिनियम–25) की धारा–6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भागलपुर कोतवाली तिलकामांझी थाना कांड सं0–676/17, दिनांक 26.09.2017, धारा–406/409/420/467/468/471/120(बी0)/34 भा0द0वि0, बांका थाना कांड सं0 539/17, दिनांक 30.08.2017, धारा–420/409/467/468/471/120(बी0) भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0–653/17, दिनांक 19.09.2017, धारा–409/419/420/467/468/471/120(बी0) /34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0–660/17, दिनांक 20.09.2017, धारा–409/ 419/420/467/468/471/120(बी0)/34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0– 662/17, दिनांक–21.09.2017 धारा–409/419/420/467/468/471/ 120(बी0)/34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0– 654/17, दिनांक 19.09.2017, धारा 409/419/420/467/ 468/471/120 (बी0)/34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0–650/17, दिनांक 18.09.2017, धारा–409/420/419/467/468/471/120(बी0)/34 भा0द0वि0, भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0–753/17, दिनांक 16.10.2017, धारा–409/420/467/468/471/120(बी0)/34 भा0द0वि0 एवं भागलपुर कोतवाली थाना कांड सं0– 658/17,दिनांक 20.09.2017, धारा–409/419/420/467/468/471/120(बी0)/34 भा0द0वि0 जो भागलपुर एवं बांका में सरकारी बैंक खातों से जालसाजी एवं षडयंत्रपूर्ण तरीके से सरकारी राशि के अवैध हस्तानांतरण एवं दुरूपयोग से संबंधित है, के अनुसंधान/पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विषेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

The 11th December 2017

No. 8/C.B.I-80-05/2017 HP- 9676—In exercise of the powers conferred under section-6 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate / supervise and inquire into the Bhagalpur Kotwali (Tilkamanjhi) P.S. Case No 676/17, Dated 26.09.2017 u/s 406/409/ 420/467/468/471/120B/34 I.P.C., Banka P.S. Case No. 539/2017, Dated 30.08.2017 u/s 420/ 409/467/468/471/120B I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 653/2017, Dated 19.09.2017 u/s 409/419/420/467/468/471/120B/34 I.P.C, Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 660/17, Dated 20.09.2017 u/s 409/419/420/ 467/468/471/120B/34 I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 662/17, Dated 21.09.2017 u/s 409/419/420/467/468/471/120B./34 I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 654/17, Dated 19.09.2017 u/s 409/419/420/467/ 468/471/120B/34 I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 650/17, Dated 18.09.2017 u/s 409/420/419/ 467/468/471/120B/34 I.P.C., Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 753/17, Dated 16.10.2017 u/s 409/420/467/468/471/120B/34 I.P.C and Bhagalpur Kotwali P.S. Case No. 658/17, Dated 20.09.2017 u/s 409/419/420/467/468/471/120B/34 I.P.C. which are related to illegal transfer and misuse of funds from Government Bank Accounts in Bhagalpur and Banka in fraudulent & conspiratorial manner.

By order of the Governor of Bihar,
Ranjan Kumar Sinha, Addl. Secretary.

पत्र सं0–1/सी01–13/2017 गृ0आ0—1120

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

————————

प्रेषक,

रंजन कुमार सिन्हा,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 8 फरवरी, 2018

विषयः– **बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के सृजित एक गैर संवर्गीय पद को अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में सृजित/पदनामित करने की स्वीकृति ।**

बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में अन्य पदों के साथ–साथ पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के एक गैर संवर्गीय पद का सृजन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–9209 दिनांक 22.11.2017 द्वारा किया गया है।

2. राज्य में मद्यनिषेध का कारगर क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके कारगर क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु अपराध अनुसंधान विभाग को राज्य के वरीय पदाधिकारियों के साथ–साथ अन्य समीपवर्त्ती राज्यों के वरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय एवं विचार–विमर्श की आवश्यकता होती है। इसलिए मद्यनिषेध संबंधी कार्यों को सम्पादित करने हेतु उपलब्धता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक को मद्यनिषेध के कार्यों का दायित्व सौंपा जाना आवश्यक हो जाने के फलस्वरूप राज्य में पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस महानिरीक्षक पंक्ति में पदाधिकारियों की वर्तमान एवं भविष्य में उपलब्धता के सम्यक् समीक्षोपरान्त, पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के स्वीकृत पद को अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में सृजित/पदनामित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–9209 दिनांक 22.11.2017 द्वारा सृजित पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के पद को अपर पुलिस महानिदेशक (मद्यनिषेध)/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में सृजित/पदनामित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

(**ह0) अस्पष्ट,** अपर सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

————————

Office Order

The 12th February 2018

No. XI-L Rev.-31/2017-531—On the recommendation of Collector, Nawada vide letter no. 17dt.16/01/2018 the power of certificate officer is delegated to Shri Mukesh Kumar Chaudhary, Commercial Tax Officer, Nawadafor disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

2. The Power is delegated for Six Months only, will be renewed on the basis of performance.

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt.30/01/2018

By order,

Sd/-Illegible, Secretary to Commissioner,

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 49—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि

सूचना

No. 175—**I, ABHIJEET** S/o Anshuman Kumar Singh R/o Flat No-104 Mahasaraswati Tower Abhiyanta Nagar, danapur, Patna vide affi. No.643 dated 19.12.2017 shall be known as Abhijeet Singh.

ABHIJEET.

No. 205— I, SHUBHAM, S/o Dr. Shambhu Sharan Choudhary R/o K-29 Dalmiyanagar Rohtas, Bihar solemnly affirm and declare that vide Affi. no. 303 dated 07.09.2017 . I should be known as Shubham Choudhary from here onwards.

SHUBHAM.

सं0 206—मैं कुमारी गार्गी पति अमित कुमार, पंचवटी कॉलोनी, लेन नं0–02, मझौलिया, पोस्ट–खबड़ा, थाना–सदर, जिला–मुजफ्फरपुर, एस0डी0ओ0–पूर्वी के स0प0स0–16849 दिनांक 08.08.2017 से मैं डॉ0 गार्गी सिंह के नाम से जानी जाऊंगी।

कुमारी गार्गी।

No. 206—I, Kumari Gargi W/O Amit Kumar, Panchwati Colony, Lane No-02 Majhaulia,PO-Khabra, PS-Sadar, Dist-Muzaffarpur has changed my name SDO (East) vide Aff. No-16849, Dated- 08.08.2017 and from now the new name will be Dr. Gargi Singh for all purpose.

Kumari Gargi.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 49—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 1/सी01–13/2017 गृ0आ0—9710
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प
12 दिसम्बर 2018

विषयः–बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के कर्त्तव्य एवं दायित्वों के संबंध में ।

मद्यनिषेध एवं उत्पाद से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध), बिहार का एक पद सृजित करने एवं उनके सहयोग हेतु अनुषंगी कार्यालय/प्रशाखा की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2. बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के एक गैर संवर्गीय पद का सृजन, पुलिस अधीक्षक (ओ0एस0डी0), अपराध अनुसंधान विभाग के पद को पुलिस अधीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में परिवर्तित करने एवं पुलिस मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों से विभिन्न कोटि के कुल 68 अनुषंगी पदों को प्रत्यर्पित कर अपराध अनुसंधान विभाग में उसी कोटि के उतने ही पद सृजित करने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–9209, दिनांक 22.11.2017 द्वारा प्रदान की गयी है ।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार के द्वारा विनिर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पूर्ण मद्यनिषेध का लक्ष्य हासिल करने हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे :–

(1) मद्यनिषेध को प्रभावकारी बनाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) द्वारा निम्नलिखित कार्यों का अनुश्रवण किया जायेगा :–

(i) उत्पाद विभाग से आसूचना का आदान–प्रदान एवं अनुश्रवण ।
(ii) विशेष शाखा से आसूचना का आदान–प्रदान एवं अनुश्रवण ।
(iii) आर्थिक अपराध इकाई से आसूचना का आदान–प्रदान एवं अनुश्रवण ।
(iv) विभिन्न जिलों से आसूचना का आदान–प्रदान एवं अनुश्रवण ।
(v) पुलिस हेल्पलाईन एवं आधुनिक नियंत्रण कक्ष से आसूचना का आदान–प्रदान एवं अनुश्रवण ।
(vi) अन्य स्रोतों से आसूचना का आदान–प्रदान एवं अनुश्रवण ।
(vii) प्रतिबंधित कार्यों में संलिप्त अभियुक्तों एवं संदिग्धों के Telephone Interception की कार्रवाई एवं अनुश्रवण ।
(viii) सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा कुछ क्षेत्र में Focused S-Drive का संचालन एवं अनुश्रवण ।
(ix) आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानित काण्डों को छोड़कर अन्य काण्डों का आवश्यकतानुसार अनुसंधान ग्रहण करना ।
(x) मद्यनिषेध कानून के प्रावधान के अन्तर्गत अभियुक्तों की संम्पत्ति के अधिग्रहण की कार्रवाई का अनुश्रवण ।

(xi) न्यायालय में त्वरित विचारण एवं साक्षियों की उपस्थिति का अनुश्रवण ।

(xii) बरामद हो रहे शराब एवं मादक द्रव्यों का विश्लेषण एवं अनुश्रवण ।

(xiii) अवैध शराब के कार्यकलाप में संलिप्त अभियुक्तों का आगत स्रोत एवं वितरण श्रृंखला (Forward and backward linkage) संपर्क का विश्लेषण एवं कार्रवाई का अनुश्रवण ।

(xiv) अन्य राज्यों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफतारी, उनके क्रियाकलाप का विश्लेषण एवं अनुश्रवण ।

(xv) सीमावर्ती राज्यों से मद्यनिषेध को प्रभावी करने हेतु समन्वय स्थापित करना ।

(xvi) पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से मद्यनिषेध के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर सम्पर्क बनाए रखना ।

(xvii) जिलों में मद्यनिषेध से संबंधित हो रही कार्रवाई का अनुश्रवण ।

(xviii) जिलों में मद्यनिषेध से संबंधित दर्ज कांडों के अनुसंधान का अनुश्रवण।

(xix) मद्यनिषेध को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले एवं अवैध शराब को बढ़ावा देने वाले कार्यों में संलिप्त सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण ।

(xx) मद्यनिषेध के संबंध में चौकीदारों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण।

(xxi) मद्यनिषेध को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले एवं अवैध शराब को बढ़ावा देने वाले कार्यों में संलिप्त पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की थाना में पदस्थापन नहीं करने के संबंध में निर्गत स्थाई आदेश संख्या–02/2016 का अनुश्रवण।

(2) (i) पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) बिहार, पटना को आर्थिक अपराध इकाई अन्तर्गत काण्डों को छोड़कर अन्य काण्डों का अनुसंधान ग्रहण करने की स्वतंत्र शक्ति होगी । इसके लिए उन्हें अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अपर पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ii) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना और पुलिस महानिदेशक, बिहार, मद्यनिषेध सम्बन्धी दर्ज काण्डों का पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) को अनुसंधान ग्रहण करने का आदेश निर्गत कर सकेंगे ।

(iii) पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) बिहार, पटना अपने कार्यों का प्रतिवेदन पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना और प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे तथा आवश्यकतानुसार वे प्रधान सचिव/सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को भी प्रतिवेदित करेंगे।

3. पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सहयोग प्रदान करने और मद्यनिषेध से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु गठित होने वाली विभिन्न प्रशाखाओं के कार्यों का अनुश्रवण पुलिस अधीक्षक (मद्यनिषेध) करेंगे ।

4. पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) बिहार, पटना को मद्यनिषेध संबंधी कार्यो को संपादित करने हेतु अलग से ''गुप्त सेवा व्यय'' मद से राशि आवंटित की जायेगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

9 फरवरी 2018

सं0 ग्रा0वि0-14(भा0)भा0-03/2016-353343—श्री रघुनन्दन आनन्द, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सबौर, भागलपुर के विरूद्ध बाढ़ राहत कार्यों में की गयी लापरवाही के लिए जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-120 दिनांक 15.09.2016 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र 'क' आपदा प्रबंधन विभाग, पटना के पत्रांक-4042 दिनांक 06.12.2016 के माध्यम से प्राप्त हुआ।

2. प्राप्त आरोप के आलोक में श्री रघुनन्दन आनन्द को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए संकल्प ज्ञापांक- 296127 दिनांक 02.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश दिया गया तथा निलम्बन के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से सहमति प्राप्ति के उपरान्त श्री आनन्द को विभागीय अधिसूचना सं0-29606 दिनांक 13.01.2017 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया।

3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा नामित उप विकास आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, भागलपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-1361 दिनांक 15.06.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर को समर्पित किया एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने अपने पत्रांक- 152 दिनांक 27.06.2017 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री आनन्द के स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोप के सन्दर्भ में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। केवल दैनिक समाचार-पत्रों एवं अन्य माध्यम (अस्पष्ट) के आधार पर कार्य शिथिलता का आरोप लगाया गया है। उक्त के आलोक में श्री आनन्द को निलम्बनमुक्त करते हुए भविष्य में इस तरह की विषम परिस्थिति में सचेष्ट रहने की चेतावनी देते हुए इस विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि भीषण बाढ़ के कारण बाढ़ पीड़तों के ज्वलंत समस्याओं के निदान में उलझे होने के कारण पोस्टमार्टेम रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बाढ़ में डूबे हुए दो व्यक्तियों की मृतक अनुदान देने में तीन चार दिनों का विलम्ब हुआ। चूँकि बाढ़ की स्थिति भयावह थी यह विलम्ब परिस्थितिजन्य और क्षम्य है।

4. अतः उक्त के आलोक श्री रघुनन्दन आनन्द, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सबौर, भागलपुर सम्प्रति रंगरा प्रखंड, भागलपुर में पदस्थापित को निलम्बन अवधि के पूर्ण वेतन/भत्तों का भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है।

5. उक्त के आलोक में आदेश दिया जाता है कि श्री आनन्द के निलम्बन अवधि (13.01.2017 से 22.08.2017 तक) का पूर्ण वेतन/भत्तों का भुगतान पूर्व में भुगतित जीवन निर्वाह भत्ता को सामंजित करते हुए किया जाय।

6. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी 2018

सं0 कौन/भी–110/2005–36/सी––श्री मृणाल कुमार, सेवानिवृत वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त द्वारा कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया के पदस्थापन काल में लापरवाही, अकर्मण्यता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी। इसके लिए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम–49 (ए) (i) (ए) के तहत अधिसूचना संख्या–490 दिनांक 02.07.2005 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से श्री कुमार को निलंबित किया गया एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया। श्री कुमार को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करवाते हुए अभ्यावेदन की माँग की गयी। प्राप्त अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत असहमत होते हुए अधिसूचना संख्या–603, दिनांक 31.07.2006 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय के साथ ''निन्दन'' की सजा संसूचित की गयी।

श्री कुमार द्वारा अधिसूचना संख्या–603 दिनांक 31.07.2006 के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दायर किया गया। श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की सम्यक्समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या–30 दिनांक 22.02.2011 द्वारा अधिसूचना

संख्या–603 दिनांक 31.07.2006 को रद्द करते हुए लिखित चेतावनी की सजा के साथ–साथ दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित किया गया।

श्री कुमार द्वारा पुनः अधिसूचना संख्या–30 दिनांक 22.02.2011 के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दायर किया गया। श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की सम्यक्समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या–197/सी, दिनांक 29.09.2015 द्वारा पूर्व में अधिसूचना संख्या–603 दिनांक 31.07.2006 द्वारा संसूचित दण्ड को समाप्त करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

दोषमुक्त किये जाने का निर्णय के उपरांत निलंबन अवधि दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 30.07.2006 तक की अवधि को विनियमित करने हेतु श्री कुमार द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। इनके अभ्यावेदन पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए उक्त निलंबन अवधि को निम्न रूप में विनियमित किये जाने का निर्णय लिया जाता हैः–

''श्री मृणाल कुमार, सेवानिवृत वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया का निलंबन अवधि दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 30.07.2006 तक की अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए सभी प्रयोजनों के लिए सेवा विनियमित की जाती है।''

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 49—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in